न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/1373/2006/पाली</u>

1. गैनीराम पुत्र पन्ना जाति ब्राहमण निवासी भाटुन्द तहसील बाली जिला पाली
2. स्वर्गीय देसाराम पुत्र पन्ना के कायम मुकाम–
2/1. श्रीमती मथरा देवी बेवा देसाराम
2/2. ब्रह्मानन्द
2/3. सुरेश
2/4. प्रवीण पुत्रगण देसाराम
समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भाटुन्द तहसील बाली जिला पाली

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाली

–प्रत्यर्थी

<u>खण्डपीठ</u>
श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री औकारलाल दवे, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्रीमती पूनम माथुर, अति. राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 08.02.2020

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–11–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत प्रतिवादी प्रत्यर्थी के विरूद्ध ग्राम भाटून्द स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 30/9 रकबा 27बीघा भूमि बाबत् वाद प्रस्तुत कर घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद को खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 29-01-1990 से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष दो अपीलें प्रस्तुत हुई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 26-05-1991 से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद को पुनः दर्ज रजिस्टर कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित पांच तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 12-08-2002 से खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील संख्या-71/2002 हुई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 16-05-2003 से स्वीकार कर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में विचारण न्यायालय द्वारा वाद को पुनः दर्ज रजिस्टर कर पारित निर्णय में दिये गये निर्देशानुसार अनुतोष सहित पांच तनकीयात कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध कर निर्णय व डिक्री दिनांक 20-09-2004 से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 60/2004 प्रस्तुत हुई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक

30-11-2005 से खारिज कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि वादीगण ने सन्देह से परे यह साबित कर दिया था कि वादी पहले शासनदारों को लगान लेता था एवं जागीर पुर्नग्रहण होने के बाद राजस्व अधिकारियों को लगान जमा कराया है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी ने पूर्व शासनदारों द्वारा वादी के हक में लिखे गये लिखत को एवं सम्वत् 2011 से 2012 की गिरदावरी प्रस्तुत की थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नजरअन्दाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। उनका कथन है कि वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से विवादित आराजी पर सम्वत् 2009 के पूर्व शासनदार ब्राहमणों की अनुमति से काबिज काश्त होना प्रमाणित होता है। उनका कथन है कि वादी के हक में बापीपट्टा आषाढ बदी नवमी सम्वत् 2011 में लिखा था, जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के बाद का लिखा हुआ होना मानने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 1996 आरआरडी पेज 535 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

5. इसके विपरीत योग्य अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी राजकीय भूमि है, जिस पर वादीगण केवल मात्र अतिक्रमी की हैसियत से कुछ समय के लिए काबिज काश्त रहे है तथा कब्जे के आधार पर विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार वादीगण को प्रदान नहीं किये जा सकते। उनका कथन है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी राज्य सरकार के विरूद्ध ग्राम भाटून्द स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 30/9 रकबा 27बीघा भूमि बाबत् वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर सम्वत् 2010 से काबिज काश्त होना अंकित करते हुए घोषणा का अनुतोष चाहा गया किन्तु वादी अपीलार्थीगण पक्ष की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य यथा सम्वत् 2012 की गिरदावरी अथवा राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये

गये है, जिसमें वादी विवादित आराजी का कृषक अथवा उपकृषक दर्ज रहा हो। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में केवल मात्र कब्जे अथवा मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

8. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों पर पूर्णरूपेण चस्पा नहीं होता है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के मद्देनजर तनकीवार विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

(मुकेश शर्मा)
अध्यक्ष